## शमीम बनाम मेडिकल कालेज
## आल इण्डिया रिपोर्टर 1975 केरल 131

**तथ्य**

उन सम्प्रदायों के याचियों ने जो सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित हैं केरल सरकार के ता. 2-5-1966 के सरकारी आदेश पी. 208/66/शिक्षा में लगाए गए प्रतिबन्ध की संवैधानिकता को चुनौती दी जिसमें यह शर्त रखी गई थी कि केवल वही आवेदक जिनका ऐसे परिवारों से सम्बन्ध है जिनकी वार्षिक आय 6000 रुपए से कम हो, उन स्थानों में प्रवेश पाने के पात्र हैं जो पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित रखे गए हैं। जिन याचियों ने 1974-75 में एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए आवेदन किया था उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया। सरकारी आदेशानुसार पिल्लै आयोग की रिपोर्ट के परिणामस्वरूप पास किया गया जिसमें 4200 रुपए तक की आय-सीमा की सिफारिश की गई थी।

**वाद विषय**

(i) क्या उच्चतर आय के आधार पर उन व्यक्तियों को बहिष्कृत करना जो सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग से सम्बन्धित हैं अनुच्छेद 15(4) के अधीन वैध था, दूसरे शब्दों में क्या आय के आधार पर पिछड़े वर्गों का उप-विभाजन सम्भव है।

(ii) क्या 6000 रुपए की उच्चतम सीमा मनमानी थी।

निर्णय (एकस जज, के.के. नरेन्द्रन न्यायमूर्ति)

(i) उच्चतर आय के आधार पर सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों का बहिष्कार अनुच्छेद 15(4) के अन्तर्गत उचित नहीं था।

(ii) वर्तमान मामले में 6000 रुपए की उच्चतम सीमा को मनमानी और असंगत करार दिया गया।

(iii) जब शमीम के मामले की अपील केरल उच्च न्यायालय को खण्ड न्यायपीठ में की गई तो न्यायालय ने केरल राज्य बनाम कृष्ण कुमारी (आल इण्डिया रिपोर्टर 1976 केरल 851) में निम्नलिखित निर्णय दिया।

**उद्धरण**

**मुख्य न्यायमूर्ति गोविन्दन नायर**

12. आयोग को एजवा और मुसलमानों के प्रमुख सम्प्रदायों के मामले में जिनकी राज्य की आबादी में भारी संख्या है, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय इस कार्य में बड़ी कठिनाई आई कि इन सम्प्रदायों को न तो समग्र रूप से और न हीं अधिकांश रूप से सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ कैसे करार दिया जाए। इस प्रकार की जातियों के सभी सदस्यों की सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ मानने की असंगति की तत्काल इस न्यायालय के हरिहरन पिल्ले बनाम केरल राज्य 1967 के एल.टी. 266 की पूर्ण न्यायपीठ के निर्णय में किया गया। किन्तु पूर्ण न्यायपीठ ने यह अनुभव किया कि उसके पास इस निष्कर्ष तक पहुंचने का कोई आधार नहीं है कि इस जाति के सदस्यों का एक वर्ग विशेष सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ नहीं है। इसलिए न्यायालय यह मानने के लिए तैयार नहीं था कि इस जाति के सदस्यों को आधिकांशतः सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ कहना ठीक नहीं है। परन्तु साथ ही उसने अपने निर्णय के 22 वें पैराग्राफ में एक चेतावनी भी दर्ज कर दी थी। हम यहां पैराग्राफ 22 और 23 के उद्धरण प्रस्तुत कर रहे है:-

22. किन्तु यह आवश्यक है कि यहां यह गम्भीर चेतावनी दर्ज कर दी जाए क्योंकि जिस आधार-सामग्री पर विश्वास किया गया है, जैसे कि 1935 के पहले त्रावनकोर सरकार द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट तथा उस समिति की रिपोर्ट जिसने इसी प्रश्न पर 1957 में विचार किया था और साथ हीं 1941 की जनगणना रिपोर्ट जिन पर विश्वास किया गया है ये सभी अब बिल्कुल पुरानी और बेकार हो गई है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि सम्बद्ध आंकड़े समय-समय पर इकट्ठे किए जाएं। संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के उपबन्ध मात्र अल्पकालिक उपबन्ध है और उनके अनुसार की गई कार्रवाई में समयानुसार परिवर्तन करते रहना चाहिए। ऐसा तभी सम्भव है जबकि नियमित अन्तराल पर सर्वेक्षण किया जाए और ब्यौरेवार सूचना एकत्रित की जाए। मैं विगत कमोवेश बीस या तीस वर्षों से प्रवर्तित सिद्धातों के आधार पर किए गए चयन में हस्तक्षेप करने के पक्ष में नहीं हूं परन्तु साथ हीं मैं इस प्रणाली के जारी रखने के भी पक्ष में नहीं हूं जब तक कि इस मामले पर नये सिरे से विचार न कर लिया जाए।

23. मेरा विचार है कि ''पिछड़े वर्गो'' में नागरिकों के सभी कमजोर वर्ग शामिल किए जाने चाहिए, चाहे उन वर्गों के धर्म और/अथवा जातियां कुछ ही क्यों न हों। इस उद्देश्य को मद्दे नजर रखते हुए यह वांछनीय प्रतीत होता है कि राज्य यथा शीघ्र एक विस्तृत सर्वेक्षण करे। जब तक सम्बन्धित प्रश्न का नये सिरे से मूल्यांकन नहीं कर लिया जाता, उन सिद्धान्तों को लागू करते रहने का कोई

औचित्य नहीं है जो 31-3- 1978 के बाद सामान्य नियमावली के नियम 14 से 17 में सम्मिलित किए गए थे।

इस न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ के इन विचारों को मद्देनजर रखते हुए की वर्तमान समिति का गठन किया गया था। आयोग ने जो सिद्धान्त लागू किए थे उनका उल्लेख आयोग ने रिपोर्ट में किया है। उसने यह सिद्धांत लागू किया है कि **सामाजिक पिछड़ेपन की असल कसौटी आर्थिक स्थिति तथा जाति संप्रदाय माने जाने चाहिए।** आयोग ने यह बात अपनी रिपोर्ट के पृष्ठ 29 के पैराग्राफ 11 में कही है। विचार के लिए जो मुख्य प्रश्न उठता है वह यह है कि क्या इस प्रकार की कसौटी निर्धारित करना संविधानिक उपबन्धों के अनुसार आवश्यक है जिनका निर्वचन उच्चतम न्यायालय ने किया है अथवा आयोग ने जिस बात पर विचार किया है वह असम्बद्ध या असंगत विचार मात्र है जिसके कारण इस प्रकार के वर्गीकरण से संविधान के अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण होता है। श्री शिवरमण नायर तथा अन्य परामर्शी ने हमारे समक्ष बहुत जोरदार ढंग से यह तर्क प्रस्तुत किया है कि सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ी जातियों के एक बहुत हीं साधारण वर्ग को आयोग ने आय के कृत्रिम स्तर के आधार पर बहिष्कृत किया है। यह भी दावा किया गया कि यह ''लघु'' वर्गीकरण, जैसा कि श्री शिवरमण नायर ने इसे अभिहित किया है, न केवल अनौचित्यपूर्ण है वरन् स्वेच्छाचारितापूर्ण भी है।

13. गरीबी और आर्थिक स्तर सामाजिक पिछड़ेपन के निर्धारण के लिए संगतकारक हैं क्योंकि आर्थिक स्थिति, सामाजिक तथा शैक्षिक स्तर का पिछड़ेपन से सीधा सम्बन्ध है। आर्थिक पिछड़ेपन से सामाजिक पिछड़ापन आता है और उसी से शैक्षिक उन्नति में भी बाधा आती है....।

17. वर्गीकरण के सभी मामलों में सीमान्त मामले आ जाते हैं। यदि वर्गीकरण अनुमत्य है तो इस बात से कि इसके कारण कुछ व्यक्तियों को कठिनाई हो जाएगी वह वर्गीकरण न तो अन्यायपूर्ण हो जाता है, न ही अनुचित या स्वेच्छाचारितापूर्ण अथवा विकृत होता है। चाहे आय का कोई भी स्तर निर्धारित कर दिया जाए सीमान्त मामले निश्चित ही होंगे। वास्तविक प्रश्न यह है कि क्या जातियों का सामाजिक तथा शैक्षिक पिछड़ापन जो ऐतिहासिक कारणों से उत्पन्न हुआ है हमेशा के लिए बनाए रखा जाए और उन जातियों को समय रूप से सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ माना जाए चाहे उन जातियों में कुछ लोगों के ऐसे समूह भी हों जो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नहीं हैं। क्या ऐसे सम्प्रदाय के सभी सदस्य हमेशा पिछड़े हुए हीं रहें। आरक्षण करने के पीछे जो भावना है वह यह है कि ऐसी जातियों या सम्प्रदाय के सदस्यों को उन लोगों के बराबर के मौके दिए जाएं, जिन्हें समाज में सामाजकि तथा शैक्षिक दृष्टि से उन्नत वर्ग माना जाता है। यदि उन

जातियों/सम्प्रदायों का एक ग्रुप सामाजिक, शैक्षिक तथा आर्थिक क्षेत्रों में उन्नति करने में समर्थ हो गया है तो उनके लिए आरक्षण करने का यह मतलब होगा कि उन्हीं सम्प्रदायों/जातियों के उन लोगों को इस प्रकार के अवसरों से वंचित रखा जाए जो वास्तव में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग में आते है...।

18. इसका यह तात्पर्य हरगिज नहीं है कि ये जातियां या सम्प्रदाय आयोग और सरकार द्वारा अपनाए गए स्थानों के आरक्षण सम्बन्धी सिद्धांत के कारण किसी प्रकार के नुकसान में रहें। जहां तक सम्प्रदाय के सदस्यों के आरक्षण की मात्रा का प्रश्न है वह उतनी हीं है जिन्हें बहुत हद तक वही सम्प्रदाय माना जाता है। जिसमें वे व्यक्ति आते हैं जो सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। इसलिए रिपोर्ट के परिशिष्ट भाग में उल्लिखित सम्प्रदायों का एक स्थान भी कम नहीं हुआ है जो उनके लिए उस समय आरक्षित कर दिए गए थे जब कि आयोग की रिपोर्ट को सरकार के आदेश द्वारा स्वीकृत भी नहीं किया गया था। अब मुकाबिला जातियों के अधिक उन्नत वर्ग तथा कम उन्नत वर्ग के बीच रहता है। असल प्रश्न तो यह है कि क्या आयोग के समक्ष ऐसी सामग्री मौजूद थी जिसके आधार पर उन्होंने यह कहा कि जातियों में जो लोग आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न हैं उन्हें सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ नहीं माना जा सकता। इस सम्बन्ध में आयोग ने कुछ साक्ष्य एकत्र किए हैं और इसलिए यह कहना असम्भव है कि आयोग के सामने इस निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए कोई सामग्री उपलब्ध नहीं थी। यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि यह इस न्यायालय का काम नहीं है कि उपलब्ध साक्ष्य की मात्रा को आंके या जो निष्कर्ष निकाले गए हैं उन पर अपना निर्णय दे...।

अतः अब जो प्रश्न रह जाता है वह यह है कि क्या आयोग द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण सही था, क्या उसने उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का ध्यान रखा था, क्या उसके समक्ष कुछ सामग्री थी, और क्या उसने निष्कर्ष निकालते समय किसी असम्बद्ध अथवा असंगत मामलों पर विचार तो नहीं किया था। हम यह कहने के लिए तैयार नहीं हैं कि उनके द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण या सिद्धान्तों के अपनाने में कोई त्रुटि रही है। आयोग के समक्ष सामग्री थी और यह किसी प्रकार के असंगत या असम्बद्ध विचारों से प्रभावित नहीं हुआ था। अतः यह तर्क कि वर्गीकरण अनुचित या वैध नहीं माना जा सकता।

×

22. इसके बाद परामर्शी ने यह तर्क दिया कि आर्थिक दृष्टि से श्रेष्ठतर लोगों के रूप में वर्गीकरण के लिए 6000 रुपये की जो आय निर्धारित की है वह बिल्कुल मनमानी है। यह बताया गया कि कम से कम चयन के समय जिससे कि हमारा इन मामलों के सिलसिले में संबंध है 6000 रुपये की राशि बहुत ही छोटी राशि है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय इस बात के लिए

कारण बताए है कि उसने 4200 रुपये की राशि क्यों तय की है। सरकार ने यह राशि बढ़ाकर 6000 रुपए कर दी। इस निर्णय पर पुनर्विचार करना आवश्यक है। सरकार का आदेश 1966 को जारी किया गया था और 6000 रुपये की राशि को निश्चित हुए अब लगभग दस वर्ष पूरे हो गए है। हमें विश्वास है कि सरकार इस मामले पर ध्यान देगी और यह निश्चय करते समय कि 6000 रू. की राशि बनी रहने दी जाए या इसे बदला जाए समुचित कारकों पर विचार करेगी। यह ऐसा मामला है जिसकी और सरकार को ध्यान देना चाहिए। लेकि हम यह कहने के लिए तैयार नहीं है कि 6000 रुपये की जो राशि निश्चित की गई थी वह मनमानी थी। आयोग ने 4200 रूपये की राशि की सिफारिश करते समय उनके कारण बताए हैं और इस संबंध में संगत सामग्री का हवाला भी दिया है और हमारा मत है कि सरकार का 4200 रुपए की राशि को 6000 रुपए तक बढ़ाने का निर्णय न्यायसंगत था।

**निर्णय**

शमीम के मामले में एकल न्यायपीठ का निर्णय उलट दिया गया।

(iii) उच्चतम न्यायालय में अपील होने पर इस न्यायालय ने के.एस.जयश्री बनाम केरल राज्य (आल इंडिया रिपोर्टर 1976 उ.मा. 2381) कृष्णा कुमारी के मामले में केरल उच्च न्यायालय के निर्णय को परिपुष्ट किया।

**उद्धरण**

**मुख्य न्यायमूर्ति ए.एन. राय.**

7. आयोग ने 14 जुलाई, 1964 को कार्यभार ग्रहण किया और 31 दिसम्बर 1965 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। आयोग ने यह सिफारिश की कि केवल यही नागरिक जो ऐसे परिवारों के सदस्य हैं जिनकी कुल वार्षिक आय 4200 रुपए से कम है और जो उन जातियों और संप्रदायों से संबंधित है जिनका उल्लेख परिशिष्ट (viii) में किया गया है अनुच्छेद 15(4) के प्रयोजन के लिए सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के अन्तर्गत आते हैं।

7-क. जब सरकार ने 2 मई, 1966 को आदेश पारित किया तो उस आदेश में अन्य बातों के साथ यह भी कहा गया था-''जिस आयोग ने अपनी रिपोर्ट के लिए आंकड़े एकत्रित किए थे तब से अब तक निर्वाह खर्च बहुत बढ़ चुका है और आयकर छूट की सीमा भी बढ़ा दी गई है। किसी भी व्यावसायिक या तकनीकी संस्था के विद्यार्थी के आजकल के निर्वाह खर्च को देखते हुए सरकार का विचार है कि आयोग द्वारा सुझाई गई 4200 रुपये की आय सीमा को उचित रूप से बढ़ाकर

6000 रुपये प्रतिवर्ष कर देना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में सरकार ने उपर्युक्त सिफारिश को इस संशोधन के साथ स्वीकार किया है कि केवल वही नागरिक जो ऐसे परिवारों के सदस्य हैं जिनकी वार्षिक आय कुल मिलाकर 6000 रुपये से कम है और जो उन जातियों तथा संप्रदायों से संबंध रखते हैं जिनका उल्लेख सरकार ने इस आदेश के अनुबंध में किया गया है अनुच्छेद 15(4) के प्रयोजन के लिए सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों में आते है:

9. राज्य सरकार ने 2 सितंबर, 1975 को एक आदेश पारित किया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा गया है:

''सरकार का आदेश जारी होने के बाद निर्वाह खर्च अधिक बढ़ गया है और आयकर छूट की सीमा भी बढ़ाई गई है। किसी व्यवसायिक या तकनीकी संस्था के विद्यार्थी के आजकल के निर्वाह खर्च को दृष्टिगत रखते हुए सरकार का विचार है कि सरकार के आदेश में निर्धारित 6000 रुपये की आय सीमा को समुचित रूप से बढ़ा दिया जाना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में सरकार निर्धारित 6000 रुपये की आय सीमा को 1975-76 के शैक्षिक सत्र से बढ़ाकर 10,000 रुपये वार्षिक करती है।''

19. आयोग ने शैक्षिक पिछड़ेपन के लिए कई प्रकार के परीक्षण किए- आवास का परीक्षण जो साधन और जाति/संप्रदाय परीक्षण के लिए आवश्यक था और साधन और जाति/संप्रदाय परीक्षण के लिए आय-स्तर और इस निष्कर्ष पर पहुंची कि केरल राज्य के वे नागरिक जो उन परिवारों के सदस्य है जिनकी कुल वार्षिक आय सभी स्रोतों से 4200 रुपये से कम है और जो उन जातियों या संप्रदायों से संबंध रखते है जिनका उल्लेख परिशिष्ट (viii) में किया गया है अनुच्छेद 15(4) के प्रयोजनों के लिए सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के अन्तर्गत आते हैं। आयोग ने यह भी देखा कि सामान्य तौर पर उन जातियों या संप्रदायों के सदस्य जिनका उल्लेख परिशिष्ट (viii) में हुआ है शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं और निम्नतर आय के ग्रुप जिसकी वार्षिक आमदनी कुल मिलाकर 4200 रु. कम है, सामाजिक दृष्टि से भी पिछड़े हुए हैं। इन जातियों और सम्प्रदायों में निम्नतम आय बाले ग्रुप के बारे में आयोग का विचार है कि वे ऐसे नागरिक वर्ग हैं जो सामाजिक और शैक्षिक दोनों ही दृष्टियों से पिछड़े हुए हैं।

20. नागरिकों के किसी वर्ग विशेष के सामाजिक पिछड़ेपन का पता लगाने के लिए उस नागरिक वर्ग की जाति पर विचार करना असंगत न होगा। किन्तु जाति को ही इसकी एक मात्र अथवा प्रमुख कसौटी मान लेना ठीक नहीं है। सामाजिक पिछड़ापन यदि कुल मिलाकर देखा जाए तो बहुत हद तक गरीबी का हीं परिणाम होता है। सामाजिक पिछड़ापन जो गरीबी से पैदा होता है और भी बढ़

जाता है जब उसे जाति विशेष के साथ जोड़ दिया जाता है। इससे जाहिर होता है कि नागरिकों के पिछड़ेपन के निर्धारण में जाति तथा दरिद्रता दोनों ही की कितनी प्रासंगिकता है। वैस गरीबी हीं के आधार पर सामाजिक पिछड़ेपन का निश्चय कर लेना काफी नही है। जहां तक सामाजिक पिछड़ेपन का सवाल है उसमें गरीबी की भी अपनी प्रासंगिकता होती है। आयोग ने यह निष्कर्ष निकाला कि कम आय वाले लोग ही सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए है। आरक्षण का आधार आमदनी नहीं है बल्कि सामाजिकता था शैक्षिक पिछड़ेपन का निर्णय संगत मानदण्डों के आधार पर ही किया जा सकता है। यदि नागरिकों की पिछड़ी हुई जातियों का कोई भी वर्गीकरण नागरिकों की जाति विशेष पर ही आधारित हो तो उससे जाति प्रथा की कुरीति निरंतर बनी रहेगी। इसी प्रकार यदि वर्गीकरण का आधार केवल गरीबी हीं मान लिया जाय तो वह तर्कसंगत नहीं होगा। समाज जनसाधारण के उद्धार की दिशा में प्रयत्नशील है। इस महाकाम में समाज उन ग्रुपों और जातियों की सहायता करता है जो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए है और यही हमारे संविधान का आभारभूत लक्ष्य है। इसी संदर्भ में यदि हम सामाजिक पिछड़ेपन का जायजा ले जो दरिद्रता का ही परिणाम है, तो देखते हैं कि जाति में संबद्ध होने पर इसका रूप विकराल हो जाता है। व्यवसाय और विकास ये भी दोनों ऐसे तत्व है जो इस बात का निर्धारण करने में सहायक होते है कि कौन से वर्ग सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। इस समस्या के समाधान में और सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के निर्धारण के लिए समुचित मानदण्ड स्थिर करने की दिशा में सामाजिक तथा आर्थिक कारण भी अपनी निश्चित भूमिका अदा करते है। यही कारण है कि समारे संविधान में सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े नागरिकों तथा अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। यदि इस समस्या का समाधान करना है तो उसका एक मात्र तरीका यही है कि समाज और राज्य को यह निर्देश दिया जाए कि वे इन वर्गों के सामाजिक तथा शैक्षिक उद्धार के लिए उन्हें हर प्रकार की सुविधाएं प्रदान करें। आयोग ने इसी संदर्भ में प्रस्तुत मामले को देखा-परखा है और यह नतीजा निकाला है कि परिशिष्ट (viii) में उल्लिखित नागरिक वर्गों के लिए उनके सामाजिक तथा शैक्षिक पिछड़ेपन का निश्चय करने में उनकी आय की बहुत प्रासंगिकता है।

21. कौन सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग है इस समस्या का समाधान निश्चित रूप से कोई आसान काम नहीं है। उनके निर्धारण के लिए उपयुक्त मानदण्ड स्थिर करते समय समाजशास्त्रीय तथा आर्थिक कारकों की भी अपनी भूमिका होती है। यह कार्य वस्तुतः राज्य का है। न्यायालय के क्षेत्राधिकार में तो केवल यह निर्णय करना भर आता है कि जो कसौटी अपनाई गई है वह मान्य है या नहीं। यदि यह जान पड़े कि जो मानदंड अपनाए गए हैं वे उपयुक्त और वैध है तो उन मानदण्डों के आधार पर सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों का जो वर्गीकरण किया गया है वह अनुच्छेद 15(4) की शर्तो के अनुरूप है या नहीं। संगत मानदंड लागू करने के बाद आयोग ने

यह नतीजा निकाला है कि परिशिष्ट (viii) में उल्लिखित संप्रदायों के कम आय वाले ग्रुप सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों में आते हैं। इस प्रश्न पर विचार करते समय कि कोई नागरिक वर्ग विशेष सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है या नहीं इस बात को मद्देनजर रखना असंगत न होगा कि उस नागरिक वर्ग की जाति क्या है। यह स्मरण रखना आवश्यक है कि विशेष व्यवस्था नागरिकों के वर्गों के लिए रखी गई है अलग-अलग नागरिकों के लिए नही और इसलिए यद्यपि नागरिक वर्ग की जाति पर विचार करना संगत हो सकता है किन्तु उसके महत्व को अनावश्यक रूपसे बढ़ाना उचित नहीं यदि वर्गीकरण का एकमात्र आधार नागरिकों की जाति को माना जाए तो यह तर्कसंगत न होगा। सामाजिक पिछड़ापन बहुत हद तक गरीबी का नतीजा होता है इसलिए पिछड़ेपन का निर्धारण करने के लिए जाति और दरिद्रता दोनों ही संगत हैं। किन्तु अकेले न तो जाति और न ही गरीबी को इसकी कसौटी माना जा सकता है। यदि आयोग ने किसी वर्ग विशेष को सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग घोषित कर दिया है तो उसका आधार केवल उस वर्ग की आय ही नहीं है बल्कि यह निर्धारण न्यायालय द्वारा निर्धारित संगत मानदण्डों पर आधारित है। साक्ष्य तथा अन्य सामग्री आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गई। अनुच्छेद 15(4) में जिसमें नागरिक वर्गों के पिछड़ेपन का जिक्र किया गया है यह संकेत किया गया है कि महत्व नागरिकों के वर्गो पर दिया गया है व्यक्तियों पर नहीं अनुच्छेद 15(4) नें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों का भी उल्लेख किया गया है। इसलिए अनुच्छेद 15(4) में वर्णित नागरिकों के सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गो कों और जातियों के समान नहीं माना जा सकता। आर. चित्रलेखा बनाम मैसूर राज्य (1966) एस.सी.आर. 368=) (ए.आई.आर. 1964 एस.सी. 1823) में इस न्यायालय ने कहा था कि आर्थिक परिस्थितियों और व्यवसायों के आधार पर पिछड़े वर्गों का वर्गीकरण अनुच्छेद 15(4) के प्रतिकूल नहीं है।

22. आयोग की रिपोर्ट के परिशिष्ट (viii) में जिन विभिन्न जातियों का उल्लेख किया गया है उन्हें आयोग ने सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लोगों के रूप में स्वीकृत नही किया है। परिशिष्ट (viii) में उल्लिखित जातियों के सदस्यों में से केवल वे जिनका आर्थिक स्तर आयोग द्वारा निर्धारित स्तर से नीचा है सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए माने गए हैं। किसी भी वर्ग की आर्थिक स्थितियों से भी उनके शैक्षिक पिछड़ेपन का बहुत हद तक आभास हो जाता है।

**निर्णय**

पिछड़ेपन का निर्धारण करने के लिए जाति तथा दरिद्रता दोनों ही प्रासंगिक तत्व हैं। आयोग द्वारा वर्णित जातियों के सदस्यों के सामाजिक तथा शैक्षिक पिछड़ेपन का निश्चय करने के लिए आर्थिक साधनों के मानदण्ड को न्यायालय ने वैध ठहराया है।